

वजीरगंज पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय मादक पदार्थ तस्करी गैंग के 03 सदस्यों को मय 01 किग्रा 445 ग्राम नाजायज अफीम (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत करीब 38 लाख रुपये) तथा घटना मे प्रयुक्त दो मो0सा0 के साथ गिरफ्तार किया गया।

30प्र0 शासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी व क्रय/विक्रय की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के निर्देश के क्रम मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ डा0 ओ0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अजय प्रताप के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी विसौली सुनील कुमार के नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज व वजीरगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 29-08-2023 को अन्तर्जनपदीय मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को मय 01 किग्रा 445 ग्राम नाजायज अफीम के साथ गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

घटनाक्रम-थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा दिनांक 29.08.2023 को उच्चाधिकारीगण एवं शासन की मंशा के अनुरूप मादक पदार्थ ब्रिकी एवं तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे सतत अभियान के क्रम मे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर सैदपुर पेट्रोल पम्प से रेहडिया तिराहे के पास से 03 व्यक्ति 1.बृहमपाल पुत्र कोमिल 2.राजवीर पुत्र राजाराम निवासीगण ग्राम धर्मपुर बिहारीपुर थाना बिसौली जिला बदायूँ 3.इन्द्रजीत पुत्र दुर्विजय सिंह निवासी ग्राम सिंगथरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ को अवैध अफीम के साथ पकडा गया । जिनके कब्जे से 1445 ग्राम अफीम नाजायज व घटना/परिवहन मे प्रयुक्त 02 अदद मो0सा0 बजाज CT100 न0 UP 24AJ 6098 व मो0सा0 TVS विकटर बिना नम्बर बरामद हुयी । पकडे गये अभियुक्तगणों के पास से बरामद अफीम की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे करीब 38 लाख रुपये है । जिसके सम्बन्ध मे थाना वजीरगंज पर मु0अ0स0 413/2023 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

पूछताछ विवरण अभियुक्त गण 1.बृहमपाल पुत्र कोमिल 2.राजवीर पुत्र राजाराम निवासीगण ग्राम धर्मपुर बिहारीपुर थाना बिसौली जिला बदायूँ 3.इन्द्रजीत पुत्र दुर्विजय सिंह निवासी ग्राम सिंगथरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ उपरोक्त ने पूछताछ मे संयुक्त रूप से बताया कि वह यह अफीम हम सम्भल से खरीद कर लाये थे जिससे हमने यह अफीम खरीदी है उसका मो0न0 हमे पता है यह अफीम हमे ले जाकर सिरौली बरेली में बेचना था कि पकडे गये बताये गये मो0न0 के बारे में और अधिक जानकारी कर गहनता से कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- 1.बृहमपाल पुत्र कोमिल ग्राम धर्मपुर बिहारीपुर थाना बिसौली जिला बदायूँ
- 2.राजवीर पुत्र राजाराम निवासी ग्राम धर्मपुर बिहारीपुर थाना बिसौली जिला बदायूँ
- 3.इन्द्रजीत पुत्र दुर्विजय सिंह निवासी ग्राम सिंगथरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ

बरामदगी का विवरण

- 1.अभि० बृहमपाल के पास से 525 ग्राम अफीम एक मोबाईल फोन व एक मो०सा० बजाज CT100 न० UP 24AJ 6098
2. अभि० राजवीर के पास से 500 ग्राम अफीम नाजायज व एक मोबाईल फोन
- 3.अभि० इन्द्रजीत के पास से 420 ग्राम अफीम नाजायज व एक मोबाईल फोन व एक मो०सा० TVS विक्टर बिना नम्बर

गिरफ्तारी स्थल

सैदपुर पेट्रोल पम्प से रेहडिया तिराहे के पास दिनांक 29.08.2023

आपराधिक इतिहास अभियुक्त बृहमपाल

मु०अ०सं० 413/2023 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजवीर

मु०अ०सं० 413/2023 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इन्द्रजीत

मु०अ०सं० 413/2023 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूँ।